हरियाणा राज्य और अन्य

बनाम

श्री ओम प्रकाश भसीन (डी) द्वारा कानूनी प्रतिनिधि और अन्य

सितंबर 25,1997

[डॉ. ए.एस.आनंद और एम.श्रीनिवासन, जे.जे.]

भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा (23-1A)

भूमि अर्जन - मुआवजा - सांत्वना और ब्याज - पात्रता - भूस्वामी मुआवजा से असंतुष्ट - निर्देश - 10.10.1978 को जिला न्यायाधीश द्वारा अधिनिर्णय - उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा अपने आदेश दिनांक 28.01.1981 द्वारा मुआवजे को 10 रुपये प्रति वर्ग गज से 12 रुपये प्रति वर्ग गज बढाया गया - अपील में, खंड पीठ द्वारा आगे मुआवजे को 15 रुपये बढ़ा दिया गया - यह भी अभिनिर्धारित किया कि भूस्वामी 3 रुपये प्रति वर्ग गज की वृद्धि पर 30% की दर से सोलेशियम पाने का हकदार था, इसके अलावा भूमि के कब्जे की तारीख से एक वर्ष के लिए 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज और उसके बाद भुगतान की तिथि तक 15% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भी हकदार था- अपील - अभिनिर्धारित

किया कि प्रतिवादी किसी सांत्वना दिए जाने के हकदार नहीं हैं - ब्याज दर 6 प्रतिशत प्रति वर्ष तक सीमित होगी।

के.एस.परिपूर्णन बनाम केरल राज्य और अन्य, [1994] 5 एस.सी.सी. 593 और के.एस.ई.परिपूर्णन(II) बनाम केरल राज्य और अन्य, [1995] 1 एस.सी.सी. 367 पर भरोसा किया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील सं. 7716/ 1994

एल.पी.ए. संख्या 581/ 1981 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 25.3.85 से।

प्रेम मल्होत्रा, अपीलार्थियों की ओर से।

रवींद्र बना, प्रतिवादियों की ओर से।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश दिया गया थाः

विलम्ब क्षमा किया गया।

इस अपील में, जो उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 25.3.1985 के खिलाफ निर्देशित है, इस न्यायालय द्वारा जारी किया गया नोटिस केवल मुआवजे और ब्याज के प्रश्न तक सीमित था।

भूमि अर्जन अधिनियम (इसके बाद अधिनियम) की धारा 4 के तहत एक अधिसूचना 7.10.1971 को जारी की गई थी। भूमि अधिग्रहण कलेक्टर ने अधिग्रहित भूमि का @ रुपये 200 प्रति मारला म्आवजे के रूप में अधिनिर्णय दिया। प्रतिवादी ने भूमि अधिग्रहण कलेक्टर के फैसले के खिलाफ अधिनियम की धारा 18 के तहत एक निर्देश की मांग की और और विद्वान जिला न्यायाधीश, गुड़गांव द्वारा एक अधिनिर्णय दिनांक 10.10.1978 के माध्यम से @ रुपये 10 प्रति वर्ग गज से म्आवजे की अन्मति दी। प्रतिवादी ने जिला न्यायाधीश के फैसले को उच्च न्यायालय में च्नौती दी। एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने 28.01.1981 के निर्णय और आदेश के माध्यम से अपील को स्वीकार किया और म्आवजे को रुपये 10 रुपये प्रति वर्ग गज से बढाकर 12 प्रति वर्ग गज कर दिया। प्रतिवादी ने खंड पीठ में अपील में मामले को आगे बढ़ाया। खंड पीठ ने आगे म्आवजे को बढ़ाकर रुपये 15 प्रति वर्ग गज कर दिया। खंड पीठ ने यह भी माना कि प्रतिवादी 3 रुपये प्रति वर्ग गज की वृद्धि पर 30% की दर से सोलेशियम पाने का हकदार था, इसके अलावा भूमि के कब्जे की तारीख से एक वर्ष के लिए 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज और उसके बाद भ्गतान की तिथि तक 15% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भी हकदार था। खंड पीठ ने 25 मार्च, 1985 को फैसला सुनाया। अतः यह अपील।

श्री प्रेम मल्होत्रा, विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थियों के और से प्रस्तुत करते हैं कि अधिनियम की धारा 23(1 ए) के प्रावधानों के तहत 30% की दर से सोलेशियम का अधिनिर्णय, जैसा कि संशोधित अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया है, के.एस.परिपूर्णन बनाम केरल राज्य और अन्य, [1994] 5 एससीसी 593 में फैसले के अनुसार प्रतिवादी को नहीं दिया जा सकता था। यह भी प्रस्तुत किया कि चूंकि अधिनिर्णय 1982 से पहले दिया गया था और यहां तक कि जिला न्यायाधीश ने भी 1982 से पहले अधिनियम की धारा 18 के तहत निर्देश का निस्तारण किया था, इसलिए प्रतिवादी को 9 प्रतिशत और 15 प्रतिशत की दर से ब्याज स्वीकार्य नहीं था। इसके लिए के.एस.परिपूर्णन (II) बनाम केरल राज्य और अन्य, [1995] 1 एससीसी 367 पर भरोसा किया गया।

एफ.श्री मल्होत्रा द्वारा की गई प्रस्तुति अच्छी तरह से स्थापित है। दोनों मुद्दे ऊपर देखे गए निर्णयों द्वारा पूरी तरह से कवर किए गए हैं। इसलिए, हम इस अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हैं और उच्च न्यायालय के दिनांक 25.3.1985 के निर्णय और आदेश को अपास्त करते हैं और अभिनिर्धारित करते हैं कि प्रतिवादीगण किसी भी सांत्वना के हकदार नहीं हैं और ब्याज की दर केवल 6 प्रतिशत प्रति वर्ष तक सीमित होगी। उच्च न्यायालय के दिनांकित 25.3.1985 के निर्णय और आदेश में इस संशोधन के साथ, अपील का निस्तारण किया जाता है। हालाँकि, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

टीएनए।

अपील का निस्तारण किया गया।

अस्वीकरण - यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जिरये अनुवादक की सहायता से किया गया है। इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।